

ब्यूज टुडे

नीति आयोग ने 'राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों को मजबूत करने के लिए रोडमैप' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की

यह रिपोर्ट राज्यों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी (S&T) परिषदों से जुड़ी समस्याओं और चुनौतियों को रेखांकित करती है। साथ ही, इन परिषदों को नवाचार के रणनीतिक प्रवर्तकों के रूप में विकसित करने के लिए मार्गों की पहचान करती है। यह रोडमैप 'विकसित भारत 2047' के राष्ट्रीय विज्ञान के अनुरूप होगा।

► राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषदों की स्थापना 1971 में राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की पहल पर की गई थी।

राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषदों के कामकाज में समस्याएं और चुनौतियां

- पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी और उपयोग में समस्याएं: जैसे – फंडिंग के असमान वितरण एवं बजट में देरी के कारण कार्य व शोध (रिसर्च) की निरंतरता प्रभावित होती है।
- कुशल कर्मचारियों की कमी: जैसे – वैज्ञानिक पद रिक्त पड़े हैं और खराब कार्य संस्कृति के कारण शोध की गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों घट जाती है।
- संस्थानों और उद्योगों के बीच कमजोर सहयोग: वैश्विक स्तर पर कार्यरत संस्थाओं से कम संपर्क और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की कमी।
- विनियामक और प्रशासनिक बाधा: इससे कार्य में देरी होती है और जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है।

नीति आयोग की सिफारिशें

- वित्तीय सहायता और संसाधन:
 - ⊕ राज्य सरकारों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी (S&T) के लिए अपने सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) का कम-से-कम 0.5% बजट देना चाहिए।
 - ⊕ केंद्र सरकार की ओर से दिए जाने वाले कोर अनुदान को परियोजना आधारित और प्रदर्शन आधारित अनुदान में बदला जाना चाहिए।
- मानव संसाधन:
 - ⊕ परिषदों में वैज्ञानिक और गैर-वैज्ञानिक कर्मचारियों का अनुपात 70:30 रखा जाना चाहिए।
 - ⊕ कौशल बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों की मदद ली जानी चाहिए। साथ ही, फैकल्टी व शोधकर्ताओं की अन्यत्र अस्थायी विशेष नियुक्ति (secondment) की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- उद्योगों से सहयोग और संपर्क तथा कार्यक्रमों का पुनर्निर्धारण: राज्य के संसाधनों को संस्थागत साझेदारी के साथ जोड़ते हुए उद्योगों के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, कार्यक्रमों को दोबारा इस प्रकार तैयार किया जाए कि वे स्थानीय आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार प्रभावी ढंग से काम कर सकें।

उपराष्ट्रपति ने भारत की पारंपरिक ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने का आह्वान किया

हाल ही में, उपराष्ट्रपति ने भारतीय ज्ञान परंपरा पर वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का एक वैश्विक शक्ति के रूप में उदय तभी सार्थक होगा जब उसके बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रभाव का भी समान रूप से उत्थान हो।

भारतीय पारंपरिक ज्ञान परंपरा (IKS) क्या है?

- यह भारत की हज़ारों वर्षों पुरानी बौद्धिक परंपरा को समाहित करती है। इसमें कला, संगीत, नृत्य, नाटक, गणित, खगोलशास्त्र, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि जैसे क्षेत्र शामिल हैं। यह ज्ञान प्राचीन भाषाओं जैसे संस्कृत, प्राकृत, तमिल, पाली आदि में निहित है।
- ⊕ उदाहरण: आयुर्वेद, योग, सूर्य सिद्धांत, नाट्यशास्त्र, संख्या प्रणाली (जिसमें 'शून्य' शामिल है) आदि।
- वैश्विक शिक्षा केंद्र: तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी, ओदंतपुरी आदि प्राचीन भारत में विश्वस्तरीय विश्वविद्यालय थे। यहां कोरिया, चीन, तिब्बत और फारस आदि से छात्र ज्ञान-प्राप्ति के लिए आते थे।

भारतीय ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने की आवश्यकता क्यों है?

- मानसिक उपनिवेशवाद से मुक्ति: औपनिवेशिक काल की उस सोच को समाप्त करना आवश्यक है, जिसने स्वदेशी ज्ञान परंपराओं को कमतर आँका और पश्चिमी ज्ञानमीमांसाओं को सार्वभौमिक सत्य के रूप में स्थापित किया।
- ज्ञान परंपरा को हाशिए पर जाने से रोकना: यूरोपीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण का वर्चस्व भारतीय पारंपरिक ज्ञान परंपरा को मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था में शामिल होने से रोकता है। उदाहरण के लिए- अमेरिका में हल्दी के औषधीय गुणों के लिए पेटेंट आवेदन का प्रयास।
- सीमित भागीदारी: युवाओं को भारतीय पारंपरिक ज्ञान परंपरा के अध्ययन के लिए हतोत्साहित किया जाता है, क्योंकि इसे अक्सर गलत समझा जाता है, गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है या शिक्षा की मुख्यधारा से बाहर रखा जाता है।
- सॉफ्ट पावर: भारतीय पारंपरिक ज्ञान परंपरा सांस्कृतिक कूटनीति (जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस), अकादमिक प्रभाव (जैसे नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार), और पर्यटन (जैसे रानी की वाव जैसे विश्व धरोहर स्मारकों की स्वदेशी स्थापत्य कला) को बढ़ावा दे सकती है।

भारत की पारंपरिक ज्ञान परंपरा (IKS) को संरक्षित करने के लिए विविध उपाय किए गए हैं:

- ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (TKDL): इसे 2001 में CSIR और आयुष मंत्रालय ने स्थापित किया था। इसका उद्देश्य भारत के पारंपरिक ज्ञान (TK) के बौद्धिक संपदा अधिकारों के माध्यम से गलत उपयोग और चोरी को रोकना है।
- भारतीय ज्ञान परंपरा (IKS) पहल: यह पहल पारंपरिक भारतीय ज्ञान को समकालीन शिक्षा में एकीकृत करने पर केंद्रित है।
- प्रोजेक्ट 'मौसम': इसका लक्ष्य हिंदू महासागर के तटीय देशों के बीच प्राचीन ऐतिहासिक समुद्री सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को पुनर्जीवित एवं मजबूत करना है।
- कानूनी उपाय: जैव विविधता अधिनियम, 2002 और भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 पारंपरिक ज्ञान परंपराओं पर धोखाधड़ी वाले दावों से कानूनी सुरक्षा प्रदान करते हैं।

यूरोपीय आयोग की प्रमुख ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) का विकल्प बनाने का आह्वान किया

यूरोपीय आयोग की प्रमुख ने सुझाव दिया कि यूरोप और एशियाई देशों के बीच एक नया व्यापार सहयोग फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन (WTO) अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा है।

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के बारे में

- उत्पत्ति: इसे 1995 में स्थापित किया गया था। इसने 1947 के तत्कालीन GATT (प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता) का स्थान लिया है।
 - ⊕ GATT केवल एक अस्थायी व्यवस्था थी, जबकि WTO एक पूर्ण संगठन है।
- सौंपे गए कार्य: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विविध पहलुओं जैसे वस्तुओं, सेवाओं और बौद्धिक संपदा को विनियमित करना।
- सदस्य: भारत सहित 164 सदस्य।
- निर्णय लेना: इसके तहत निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं।

WTO के समक्ष मुख्य चुनौतियां क्या हैं?

- विवाद समाधान प्रणाली में ठहराव: 2016 से संयुक्त राज्य अमेरिका ने WTO के अपीलीय बोर्ड में नियुक्तियों को रोक रखा है।
 - ⊕ इससे WTO की विवाद समाधान प्रणाली (इन्फोग्राफिक देखें) काम नहीं कर रही है। इससे वैश्विक नियमों को लागू करना नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है।
 - व्यवस्था में असमानता: WTO को अक्सर विकसित देशों का पक्षधर माना जाता है। विकासशील देशों को उच्च व्यापार बाधाओं, खराब अवसरचना और सीमित संसाधनों के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी पूरी क्षमता से भाग लेने में कठिनाई होती है।
 - ⊕ इस तरह के संघर्ष के कारण WTO के सदस्य कृषि जिसमें को लेकर नए नियमों पर सहमत नहीं हो पाए हैं।
 - निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी: पारदर्शिता का अभाव और विकासशील देशों की सीमित भागीदारी अविश्वास उत्पन्न करती है और WTO की वैधता पर सवाल उठाती है।
 - क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार समूहों का उदय: अधिकाधिक देश यूरोपीय संघ, CPTPP, AfCFTA जैसे क्षेत्रीय और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को संपन्न कर रहे हैं।
 - ⊕ ये समझौते WTO की भूमिका को कमजोर कर रहे हैं तथा वैश्विक व्यापार संबंधी नियमों में एकरूपता को कम करने का जोखिम उत्पन्न कर रहे हैं।
 - अमेरिका-चीन व्यापार संघर्ष: एकतरफा कार्रवाई (जैसे- स्टील पर अमेरिकी टैरिफ) और दोनों देशों के बीच वर्तमान तनाव से WTO की कार्यप्रणाली पर दबाव पड़ता है।
- भारत को ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में देखा जाता है। ऐसे में भारत के पास WTO में सुधारों को आगे बढ़ाने तथा ग्लोबल साउथ की दीर्घकालिक चिंताओं का समाधान करने का महत्वपूर्ण अवसर है।

विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान तंत्र

WTO में शिकायत दर्ज करना

WTO में विवादों को सुलझाने के दो मुख्य तरीके हैं-



परस्पर रूप से सहमत समाधान
यह विशेष रूप से द्विपक्षीय परामर्श के दौरान होता है, जब दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचते हैं।



निर्णय द्वारा समाधान
इस प्रक्रिया में एक पैनल द्वारा फैसला सुनाया जाता है, और फिर उस निर्णय को अपीलीय निकाय में चुनौती दी जा सकती है।

अपीलीय निकाय

यह विवादों के समाधान के लिए WTO का सर्वोच्च निकाय है।

संरचना: इसमें 7 सदस्य होते हैं।

इन्हें विवाद समाधान निकाय (DSB) द्वारा नियुक्त किया जाता है।

विवाद समाधान निकाय (DSB)

यह सभी WTO सदस्यों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना होता है।

‘वॉश (WASH) प्रोग्रेस ट्रैकर 2025’ में वित्त-पोषण की कमी पर प्रकाश डाला गया

WHO और UNICEF ने 100 से अधिक देशों के लिए एक अपडेटेड ट्रैकर जारी किया है।

यह आठ चरणों में जल, स्वच्छता और आरोग्यता (Water, Sanitation, and Hygiene: WASH) में सुधार की प्रगति को दर्शाता है।

- यह ट्रैकर 2023 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस संकल्प से जुड़ा है, जो स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में WASH, अपशिष्ट प्रबंधन और विद्युत की उपलब्धता पर केंद्रित है।
- यह दर्शाता है कि केवल 17% देशों के पास इन सेवाओं में सुधार के लिए पर्याप्त फंड है।

WASH और उसके महत्त्व के बारे में

- WASH जल, स्वच्छता और आरोग्यता के लिए एक सामूहिक शब्दावली है, जो निम्नलिखित से संबंधित है:

- ⊕ सुरक्षित पेयजल तक पहुंच;
- ⊕ बेहतर स्वच्छता सुविधाएं; तथा
- ⊕ बुनियादी स्तर की आरोग्यता बनाए रखना।

➤ महत्त्व

- ⊕ सतत विकास लक्ष्य (SDGs), 2030: यह SDG-3 (बेहतर स्वास्थ्य व कल्याण) और SDG-6 (सभी के लिए जल एवं स्वच्छता के प्रबंधन को सुनिश्चित करना) से जुड़ा हुआ है।

- ◆ WASH संक्रमणों को कम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे कि हैजा, अतिसार (Diarrhea), सेप्सिस, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग आदि।

» अतिसार 1-59 माह की आयु के बच्चों में मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण है।

- ◆ स्कूलों में शौचालयों की कमी के कारण बच्चे, विशेष रूप से लड़कियां, स्कूल छोड़ देती हैं।

- ⊕ मानवाधिकारों की रक्षा करता है: संयुक्त राष्ट्र ने साफ पानी और स्वच्छता को एक बुनियादी मानवाधिकार माना है।

- भारत की स्थिति: प्रोग्रेस ट्रैकर भारत के स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में WASH मानकों, बुनियादी ढांचे में सुधार, राष्ट्रीय निगरानी में WASH संकेतकों आदि के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देता है।

WASH से संबंधित प्रमुख पहलें

➤ राष्ट्रीय स्तर पर:

- ⊕ स्वच्छ भारत मिशन (SBM): खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने के लिए।
- ⊕ जल जीवन मिशन (2019): हर ग्रामीण घर में नल के माध्यम से जल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। वर्तमान में 80.15% घरों में नल से जल की सुविधा है।
- ⊕ नमामि गंगे: गंगा नदी की सफाई और संरक्षण पर केंद्रित कार्यक्रम है।

➤ वैश्विक

- ⊕ जल एवं स्वास्थ्य पर प्रोटोकॉल: यह यूरोप में सतत जल प्रबंधन और जल-संबंधी बीमारियों की रोकथाम, नियंत्रण और कमी को जोड़ने वाला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय कानूनी समझौता है।
 - ◆ इसे WHO/ यूरोप और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग द्वारा संयुक्त रूप से समर्थन प्राप्त है।
- ⊕ संयुक्त राष्ट्र का संकल्प (2010): सुरक्षित जल और स्वच्छता को मानवाधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।
- ⊕ WHO WASH रणनीति (2018-25): बेहतर जल, स्वच्छता और आरोग्यता के माध्यम से स्वास्थ्य सुधार पर लक्षित।
- ⊕ UNICEF WASH रणनीति (2016-30): SDG-6 (सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता) का समर्थन करती है।
- ⊕ संयुक्त राष्ट्र स्वच्छता एवं आरोग्यता-रक्षा कोष (2020): स्वच्छता सुधार के लिए संक्रमण के अधिक मामले वाले देशों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

भारत ने IMO से समुद्री घटनाओं की व्यापक जांच और वैश्विक समीक्षा की अपील की

यह अपील भारतीय जल-क्षेत्र में विदेशी जहाजों पर अघोषित खतरनाक कार्यों की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर की गई है।

➤ इसके कारण वैश्विक कंटेनर शिपिंग परिचालन से संबंधित सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं।

➤ इसने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक वस्तु (IMDG) संहिता के तहत वर्गीकृत लिथियम-आयन बैटरियों और अन्य खतरनाक वस्तुओं की पैकेजिंग, डिक्लेरेशन, भंडारण एवं जहाज में सामान रखने की जगह (Stowage) के वैश्विक मानकों में सुधार की ओर IMO का ध्यान आकर्षित किया है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के बारे में

➤ इसे 1948 में स्थापित किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।

➤ सदस्य: भारत सहित 174 सदस्य।

➤ मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम

➤ भूमिका: पोत परिवहन की सुरक्षा और जहाजों द्वारा समुद्री एवं वायुमंडलीय प्रदूषण की रोकथाम करना।

IMO की समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में भूमिका

प्रमुख कन्वेंशन	उद्देश्य
समुद्री जीवन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (SOLAS), 1974	जहाजों, आगजनी से सुरक्षा, नेविगेशन व परिचालन सुरक्षा के लिए निर्धारित सुरक्षा संबंधी मानक स्थापित करता है।
जहाजों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (MARPOL), 1973	तेल, रसायन, सीवेज, अपशिष्ट आदि से होने वाले प्रदूषण को रोकना और न्यूनतम करना।
तेल प्रदूषण के खिलाफ तैयारी, प्रतिक्रिया और सहयोग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (OPRC) तथा OPRC-HNS प्रोटोकॉल (2000)	इसके तहत देशों द्वारा तेल रिसाव (Oil spill) की घटनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु आकस्मिक योजनाएं बनाना और सहयोग स्थापित करना आवश्यक है।
जहाजों पर हानिकारक एंटी-फाउलिंग प्रणालियों के नियंत्रण पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (AFS कन्वेंशन)	हानिकारक एंटी-फाउलिंग प्रणालियों (जहाजों के जलमग्न हिस्से यानी पतवार पर समुद्री जीवों के चिपकने से रोकने के लिए प्रयुक्त पदार्थ) के उपयोग को विनियमित करना।
बलास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन	हानिकारक जलीय जीवों और रोगजनकों के प्रसार को रोकना तथा नए समुद्री परिवेश में आक्रामक प्रजातियों के प्रवेश को रोकना।
जहाजों के सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन (हांगकांग कन्वेंशन)	यह सुनिश्चित करता है कि पुनर्चक्रित जहाज मानव स्वास्थ्य और सुरक्षा या पर्यावरण के लिए अनावश्यक खतरा उत्पन्न न करे।

अन्य सुर्खियां



स्वायत्त जिला परिषदें (Autonomous District Councils)

मिजोरम में छठी अनुसूची के तहत चकमा स्वायत्त जिला परिषद में राज्यपाल शासन लागू कर दिया गया है।

स्वायत्त जिला परिषदें (ADCs) क्या हैं?

➤ ये संविधान की छठी अनुसूची के तहत प्रशासनिक संस्था हैं। इन्हें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों को शासित करने के लिए गठित की जाती हैं।

➤ उद्देश्य:

- ⊕ जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्तता सुनिश्चित करना,
- ⊕ जनजातीय क्षेत्रों की विशिष्ट पहचान को संरक्षित करना, और
- ⊕ जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देना।

➤ कार्य:

- ⊕ भूमि, वन, सामाजिक रीति-रिवाज जैसे विषयों पर कानून बनाना।
- ⊕ शिक्षा, स्वास्थ्य-देखभाल सहित स्थानीय शासन का प्रबंधन करना।
- ⊕ परंपरागत कानूनों के आधार पर विवादों का निपटारा करने के लिए ग्राम या जिला परिषद न्यायालयों की स्थापना करना।

➤ संरचना: परिषद में अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। इनमें से अधिकतम 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं।



स्थानीय निकायों में आरक्षण

हाल ही में, तेलंगाना में स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़े वर्गों के लिए 42% आरक्षण को मंजूरी दी गयी।

➤ अनुच्छेद 243D (पंचायतों के लिए) और अनुच्छेद 243T (नगरपालिकाओं के लिए) राज्य विधानमंडलों को पिछड़े वर्गों के लिए सीटें और अध्यक्ष पद आरक्षित करने का अधिकार देते हैं।

⊕ उपर्युक्त दोनों अनुच्छेद क्रमशः 73वें और 74वें संविधान संशोधनों (1992) के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे।

स्थानीय निकायों में आरक्षण के अन्य प्रावधान

➤ अनुच्छेद 243D (पंचायतों हेतु) और 243T (नगरपालिकाओं हेतु) के अनुसार, अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में (यथासंभव) सीटें आरक्षित की जाती हैं, और यह आरक्षण विभिन्न वर्गों में रोटेशन के आधार पर लागू होता है।

⊕ इनमें से एक तिहाई सीटें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं।

➤ हालांकि, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार अध्यक्ष के पदों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जा सकती हैं।



पब्लिक गैबलिंग एक्ट, 1867

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध बेटिंग ऐप्स को बंद करने और पब्लिक गैबलिंग एक्ट, 1867 का उल्लंघन करने के लिए कई मशहूर हस्तियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) 2002 के तहत केस दर्ज किया है।

► PMLA को धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए लागू किया गया था। फाइनेंशियल इंटेलेजेंस यूनिट (FIU-IND) और प्रवर्तन निदेशालय को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए विशिष्ट और समानांतर शक्तियां प्रदान की गई हैं।

पब्लिक गैबलिंग एक्ट, 1867 के बारे में

- बेटिंग और गैबलिंग (सट्टेबाजी और जुआ) को पब्लिक गैबलिंग एक्ट, 1867 के तहत पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है।
- यह कानून दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लागू है।
- कानून से छूट: इसके तहत कौशल आधारित खेलों (गेम ऑफ स्किल्स) की अनुमति है।
- राज्य को अधिकार: चूंकि गैबलिंग सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची का विषय है इसलिए राज्य सरकार इस अधिनियम में संशोधन कर सकती है।
- ⊕ देश भर के अधिकांश क्षेत्रों में बेटिंग और गैबलिंग को आम तौर पर गैरकानूनी माना जाता है।



द्वीप संरक्षण क्षेत्र (Island Protection Zone: IPZ)

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने द्वीप संरक्षण क्षेत्र (IPZ) अधिसूचना 2011 के तहत स्वीकृत अवसंरचना परियोजनाओं की वैधता बढ़ा दी है।

द्वीप संरक्षण क्षेत्र (IPZ) के बारे में

- इसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत 2011 में अधिसूचित किया गया।
- यह अंडमान एवं निकोबार तथा लक्षद्वीप की पारिस्थितिक अखंडता के संरक्षण के लिए एक विनियामकीय फ्रेमवर्क है।
- ⊕ यह तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) के समान ही है। हालांकि CRZ भारत की मुख्य भूमि के तटीय क्षेत्रों के संरक्षण के लिए अधिसूचित किया गया है।
- IPZ विनियमन के तहत निम्नलिखित शामिल हैं:-
- ⊕ द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र (ICRZ): मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान आदि के लिए।
- ⊕ एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजनाएं (IIMPs): अंडमान और निकोबार के अन्य सभी द्वीपों और लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर लागू होती हैं।



SDRF और NDRF के तहत वित्तीय सहायता

केंद्र सरकार ने असम, मणिपुर और उत्तराखंड को बाढ़ और भूस्खलन राहत के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के केंद्रीय हिस्से के रूप में 1000 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

SDRF और NDRF के तहत वित्तीय सहायता

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति के अनुसार, आपदा प्रबंधन और जमीनी स्तर पर राहत की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है।
- राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मानदंडों के आधार पर राहत उपायों के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) का उपयोग करती हैं।
- गंभीर आपदाओं के मामले में, एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (IMCT) द्वारा आकलन के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) से अतिरिक्त फंड प्रदान किया जाता है।
- नोट: SDRF और NDRF से मिलने वाली सहायता केवल राहत कार्यों के लिए होती है, न कि व्यक्तिगत क्षति की भरपाई के लिए।



मशीन विजन-बेस्ड इंसपेक्शन सिस्टम (MVIS)

भारतीय रेलवे ने ट्रेन सुरक्षा बढ़ाने के लिए DFCCIL के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत मशीन विजन-बेस्ड इंसपेक्शन सिस्टम (MVIS) लगाए जाएंगे।

‘मशीन विजन-बेस्ड इंसपेक्शन सिस्टम (MVIS)’ क्या है?

- यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) / मशीन लर्निंग (ML) पर आधारित एक आधुनिक तकनीकी समाधान है।
- यह ऐसी तकनीकों से लैस है जिनकी मदद से चलती ट्रेनों के अंडर-गियर (निचले हिस्से) की हार्ड-रिजॉल्यूशन तस्वीरें ली जा सकती हैं। साथ ही, स्वचालित रूप से किसी भी लटकते, ढीले या गायब कंपोनेंट्स का पता लगाया जा सकता है।
- यह रियल-टाइम अलर्ट उत्पन्न करती है ताकि समय पर प्रतिक्रिया और रोकथाम की कार्रवाई की जा सके।



S-400 वायु-रक्षा प्रणाली

रक्षा मंत्रालय ने S-400 वायु रक्षा-प्रणाली के लिए रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) सुविधा स्थापित करने हेतु एक भारतीय कंपनी को चुना है।

S-400 प्रणाली के बारे में

- यह दुनिया की एडवांस्ड और लॉन्ग-रेंज वाली ‘सतह से हवा’ में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली (SAM) है।
- भारत ने इसे रूस से खरीदा है।
- भारत में इसे ‘सुदर्शन चक्र’ कहा जाता है।
- यह कमांड-एण्ड-कंट्रोल प्रणाली, फेज्ड ऐरे रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रतिरोधक क्षमता से लैस है।
- यह 360-डिग्री की रडार और मिसाइल कवरेज प्रदान करती है।
- यह कई प्रकार की मिसाइलों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है जिससे यह लेयर्ड डिफेंस को संभव बनाती है।
- यह एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक करके निशाना बना सकती है।
- रेंज और क्षमता
 - ⊕ गति: लगभग 13-14 मैक
 - ⊕ ट्रैकिंग: 600 किलोमीटर तक
 - ⊕ इंगेजमेंट (लक्ष्य को निशाना): 400 किलोमीटर तक
 - ⊕ ऊंचाई कवरेज: 30 मीटर से 30 किलोमीटर तक।



NEP 2020 के पंच संकल्प

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत “पंच संकल्प” जारी किए।

- NEP 2020 का उद्देश्य: भारत में स्कूली, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।
- इसमें शिक्षा की उपलब्धता, समानता, गुणवत्ता, किफायती और जवाबदेही आधारभूत स्तंभ हैं।
- ‘पंच संकल्प’ के बारे में
- ये उच्चतर शिक्षा संस्थानों में रूपांतरण लाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे।
- इसमें शामिल हैं:
 - ⊕ अगली पीढ़ी की उभरती शिक्षा,
 - ⊕ बहु-विषयक शिक्षा,
 - ⊕ नवोन्मेषी शिक्षा,
 - ⊕ समग्र शिक्षा,
 - ⊕ भारतीय शिक्षा।

भारत में उच्चतर शिक्षा की स्थिति

- सकल नामांकन अनुपात (GER): 28.4% (लक्ष्य: 2035 तक 50%)
- महिला सकल नामांकन अनुपात: 28.5% (पुरुष से अधिक है); लैंगिक समानता सूचकांक: 1.01
- कुल नामांकन में सरकारी विश्वविद्यालयों का योगदान लगभग 73.7% है।



तलाश पहल (TALASH Initiative)

नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) ने यूनिसेफ इंडिया के साथ मिलकर तलाश (TALASH) पहल शुरू की है। NESTS केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत कार्य करता है।

- तलाश (TALASH) से आशय है: ट्राइबल एंटीट्यूड, लाइफ स्किल्स एंड सेल्फ-एस्टीम हब।
- तलाश (TALASH) पहल के बारे में
- यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास (शैक्षणिक एवं व्यक्तित्व विकास दोनों) को समर्थन देना है।
- ⊕ EMRS केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसके तहत उन ब्लॉकों में जनजातीय विद्यार्थियों को आवासीय शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाती है जहाँ अनुसूचित जनजातियों (ST) की आबादी 50% से अधिक होती है।
- यह एक इनोवेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करता है:
 - ⊕ साइकोमेट्रिक मूल्यांकन: यह NCERT की ‘तमन्ना’ पहल से प्रेरित है।
 - ⊕ कैरियर परामर्श,
 - ⊕ जीवन कौशल और आत्म-सम्मान मॉड्यूल,
 - ⊕ शिक्षकों के लिए ई-लर्निंग।



अहमदाबाद



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



जयपुर



जोधपुर



गुवाहाटी



हैदराबाद



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची



सीकर